



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

#### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2020

क्र.—एफ—ए—3—60—2015—1—पांच (41).— मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9—क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—60 / 2015 / 1 / पांच (55) दिनांक 5 जुलाई, 2019 में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, —

1. अनुक्रमांक 1 में, कॉलम (3) में शब्द एवं अंक “रूपये 3 एवं पैसा 50 प्रति लीटर” के स्थान पर शब्द एवं अंक “रूपये 4 एवं पैसा 50 प्रति लीटर”, एवं
  2. अनुक्रमांक 2 में, कॉलम (3) में शब्द एवं अंक “रूपये 2 प्रति लीटर” के स्थान पर शब्द एवं अंक “रूपये 3 प्रति लीटर”, प्रतिस्थापित किए जाएं।
- 2- यह अधिसूचना दिनांक 13 जून 2020 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2020

**क्र.-एफ-ए-3-60-2015-1-पांच.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (41), दिनांक 12 जून, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस.डी रिछारिया,** उपसचिव.

Bhopal, the 12th June 2020

**No. F-A-3-60-2015-I-V(41).**- In exercise of the powers conferred by Section 9-AA of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No.20 of 2002) the State Government hereby amends the department's Notification No. F A 3-60/2015/1/V (55) dated 5<sup>th</sup> July, 2019, namely :-

#### **AMENDMENTS**

In the Table, of the said notification, -

1. In column (3) of entry No. 1, for the words and figures "Rupee 3 and 50 Paisa per liter" the words and figures "Rupee 4 and 50 Paisa per liter",and
  2. In column (3) of entry No. 2, for the words and figures "Rupee 2 per liter" the words and figures "Rupee 3 per liter", shall be substituted.
2. This notification shall come into force from 13th June 2020.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**S.D. RICHHARIA,** Dy. Secy.